

1209
18/04/22



प्रसंग 26
(नियम 4क देखिए)



रीता

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
लौड रुभा ... (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भावा-क

अप-रीता जी. मधुका बह रायपुर इला. रीता म. स

मैं, रीता पुत्र/पुत्री/पत्नी विनोद कुमार आयु 38 वर्ष, जो (डाक का पूरा पता लिखें)
का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ,
शपथ पर निम्नलिखित कथन का हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(जो लागू न हो उसे खाली दें)
- (2) मेरा नाम लौड रुभा (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 47 के क्रम सं 4555 पर विष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे 9752312100 संपर्क (संख्या/संख्याएं हैं/हैं और) मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित हैं/हैं।
(i)
(ii)
(iii)
- (4) रथाई खाता सहाय (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रमा सं.	नाम	पीएएन (रथाई खाता संख्या)	वह दितीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर विवरणी में दर्शाए कुल आय (रुपय में)
	<u>4861</u> (<u>लागू नहीं होता है</u>)		<u>लागू नहीं होता है</u>	(i) (ii) (iii)

कोई व्यापारी खाता नंबर
कांबरे नहीं है

रीता निपाठी

Deponent

				(iv)
				(v)
2.	पति सुनील विनोद कुमार			(i)
	BCFPT 4718 N	लागू नहीं होगा		(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
				(i)
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कत या सहदायिक है)			(ii)
				(iii)
		कोई स्थायी खाता नम्बर का निर्धार नहीं है		(iv)
		लागू नहीं होगा है	लागू नहीं होगा है	(v)
4.	आश्रित - 1			(iii)
				(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
				(i)
5.	आश्रित - 2	लागू नहीं होगा है	लागू नहीं होगा है	(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
				(i)
6.	आश्रित - 3	लागू नहीं होगा है	लागू नहीं होगा है	(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आवश्यक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

दीप्ता चिपल

Deponent

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिह्नंकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii)

मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिह्नंकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

लागू नहीं होता है

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं.	लागू नहीं होता है	
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	लागू नहीं होता है	
(ग)	अंतर्वलित संबंध अधिनियमों/हिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता है	
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं होता है	
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता है	
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, उसको आरोप विरचित किया गया था	लागू नहीं होता है	
(छ)	क्या कार्यवाही के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	

(6) दोषसिद्धि के मामले,-

(i)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं किया गया है।
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नंकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

रीत प्रिया

Deponent